न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 216/2020 अपील (GCMS/2020/00227)
पंजीयन दिनांक - 05.05.2020
निर्णय दिनांक - 08.10.2021

1. **श्रीमती नानीबाई पुत्री रता गमेती, पत्नि स्व. श्री गोपा गमेती, निवासी 49 धोलकी पाटी, डाकनकोटडा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **श्री भीमा पिता रता भील, निवासी फांदा, पटवार हल्का तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।**
2. **पुष्पा पुत्री श्री टेका भील, निवासी फांदा, पटवार हल्का तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।**
3. **श्रीमती भुरकी पत्नि श्री टेका भील, निवासी फांदा, पटवार हल्का तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।**
4. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा - वकील अपीलार्थी
2. श्री कल्पिन जैन - वकील प्रत्यर्थी-1 से 3
3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-4

प्रकरण संख्या-03/2019, में श्रीमती नानीबाई बनाम श्री भीमा व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2020 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 08.10.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या-03/2019, में श्रीमती नानीबाई बनाम श्री भीमा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2020 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्रीमती नानी बाई पुत्री रता गमेती द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा समक्ष ग्राम पंचायत तितरडी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या-126 दिनांक 02.01.2002 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की एवं कथन

किया कि राजस्व ग्राम फांदा पटवार मण्डल तितरडी में अपीलान्ट की कृषि भूमि आराजी संख्या-453, 455, 456, 546 से 553, 555 से 562, 564 से 566, 736, 740, 741, 743 से 745 किता 28 रकबा 2.4500 हैक्टर स्थित है जिसमें अपीलान्ट का 1/8 हिस्सा है, उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता रता पिता मंगलिया उर्फ भगलिया की थी जो राजस्व रेकर्ड में भी खातेदार दर्ज थी। रता की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण उसके दोनों पुत्र भीमा व टेका के नाम दर्ज हुआ। टेका की मृत्यु के उपरान्त उसकी पुत्री पुष्पा एवं पत्नि भूरकी के नाम दर्ज किया गया जबकि रता की पुत्री अपीलार्थीया नानीबाई का नाम दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय विरासत की सही जांच नहीं की और अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया। अपीलार्थी के परोक्ष पारित नामान्तरकरण संख्या-126 निर्णय दिनांक 02.01.2002 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में वर्णित आराजीयात में 1/8वां हिस्सा दर्ज किये जाने आदेश फरमाया जावें।

- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा निर्णय दिनांक 06.01.2020 से उक्त अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया कि **"न्यायालय का मत है कि अपील दिनांक 02.01.2002 में किए गए नामान्तरकरण (संख्या 126) के खिलाफ प्रस्तुत की गई एवं धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम (जिसमें मौरूसी भूमि का उल्लेख है) में स्पष्ट लिखा है कि यद्यपि 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को मौरूसी सम्पत्तियों पर बेटों के बराबर हक है, परन्तु दिनांक 20.12.2004 से पहले हुए नामान्तरकरण पर इस धारा का कोई प्रभाव नहीं है अर्थात उस दिनांक से पहले खोले गए नामान्तरकरण पर यह धारा लागु नहीं है। जमाबंदी संवत 2057 से 2060 से स्पष्ट अंकित किया गया है कि भूमि मंगलिया से उसके पुत्रों के नाम दर्ज हुई उक्त आराजी मौरूसी है, इसलिये धारा 6 के अनुसार दिनांक 20.12.2014 से पहले खुले नामान्तरकरण को अपीलान्ट के हक में निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।"**

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2020 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 05.03.2020 को प्रस्तुत की गई। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सुनवाई हेतु प्रकरण दायर किये जाने की उपादेयता नहीं होने के प्रस्तुत अपील दिनांक 05.05.2020 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी द्वारा दौराने अपीलीय कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 सीपीसी मय दस्तावेज पेश किया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी विस्तृत बहस सभी बिन्दुओं पर दिनांक 04.10.2021 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम फांदा पटवार मण्डल तितरडी में अपीलान्ट की कृषि भूमि आराजी संख्या-453, 455, 456, 546 से 553, 555 से 562, 564 से 566, 736, 740, 741, 743 से 745 किता 28 रकबा 2.4500 हैक्टर स्थित है जिसमें अपीलान्ट का 1/8 हिस्सा है, उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता रता पिता मंगलिया उर्फ भगलिया की थी जो राजस्व रेकर्ड में भी खातेदार दर्ज थी। रता की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण उसके दोनों पुत्र भीमा व टेका के नाम दर्ज हुआ। टेका की मृत्यु के उपरान्त उसकी पुत्री पुष्पा एवं पत्नि भूरकी के नाम दर्ज किया गया जबकि रता की पुत्री अपीलार्थीया नानीबाई का नाम दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय विरासत की सही जांच नहीं की और अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया। अपीलार्थी के परोक्ष पारित नामान्तरकरण संख्या-126 निर्णय दिनांक 02.01.2002 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में वर्णित आराजीयात में 1/8वां हिस्सा दर्ज किये जाने आदेश फरमाया प्रदान करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जिसे विधि के विपरित जाकर निरस्त कर दिया। अपीलार्थी जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति भील (मीणा) के है, जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा नहीं हुआ है तथा आज भी संयुक्त खातेदारी की भूमि है व अपीलान्ट का भी उक्त भूमि में हिस्सा है। अपीलार्थी प्रथम श्रेणी की वारिसान है जिसे समझने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाया जावें। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण 126 दिनांक 02.01.2002 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट का नाम भी उक्त आराजीयात में विरासत से खोले जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

वकील अपीलार्थी द्वारा दौराने अपीलीय कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 सीपीसी मय दस्तावेज पेश किया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने उसके पिता श्री रता की अन्ये खाते की भूमि के सम्बन्ध में उप तहसीलदार बारापाल द्वारा विरासत से खोले गये नामान्तरकरण में उसका नाम दर्ज नहीं किये जाने पर एक अपील न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर में प्रस्तुत की गई जिसमें प्रकरण संख्या-28/2019 होकर न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर ने निर्णय दिनांक 14.10.2019 को पारित कर उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को पुनः प्रतिप्रेषित कर अपीलान्ट के पिता स्व. श्री रता के वैध वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये उक्त निर्णय की अनुपालना में न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा ने प्रकरण संख्या- 09/19 दर्ज कर दिनांक 19.01.2020 को निर्णय पारित किया तथा उक्त निर्णय की अनुपालना में राजस्व जमाबंदी में अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया उक्त दोनों निर्णय व जमाबंदी आप न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है, जो न्याय निर्णय में आवश्यक है एवं न्याय हित में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है, अतः उपरोक्त दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश फरमावें।

विद्वान वकील प्रत्यर्थी-1 से 3 ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कथनों का खण्डन करते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी यह द्वारा नहीं बताया गया कि अपीलाधीन निर्णय में क्या विधिक त्रुटि है। हस्तगत प्रकरण में पुत्रियों का कोई हक नहीं बनता जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विस्तृत वर्णन किया है। अपीलार्थी द्वारा अपने अनुसूचित जाति का होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत फुलवती बनाम प्रकाश के न्यायिक निर्णय में माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने महिलाओं के पेतृक सम्पत्ति में व्यवस्था सम्बन्धी निर्देश दिये है जिनकी परिधी में अपीलार्थी नहीं आती है। ऐसे में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित करने का कथन किया।

हमनें उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

वकील अपीलार्थी द्वारा दौराने अपीलीय कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 सीपीसी मय दस्तावेज पेश किया जिस पर हम सर्वप्रथम विवेचन किया जाना उचित समझते है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2019 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2019 की प्रति, तहसीलदार गिर्वा के प्रकरण संख्या 09/2019 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2020 की प्रति एवं जमाबंदी की प्रतियां प्रस्तुत की है। प्रस्तुत किए गए दस्तावेज राजकीय विभाग से जारी की गई प्रमाणित प्रतियां की फोटोप्रतियां है, हस्तगत प्रकरण में निर्णय प्रतिपादित किये जाने में सहायक होगे, जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 (ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है।

पत्रावलियों के अवलोकन से निर्विवादित स्थिति है कि श्री मृतक रता पिता भगा भील का पुत्र श्री भीमा व श्री टेका, पुत्री नानी बाई थे। रता की पत्नि श्रीमती लिम्बडीबाई फौत हो चुकी है। श्री रता के पुत्र श्री टेका के फौत होने पर उसकी पत्नि श्रीमती भुरी बाई व पुत्री पुष्पा वारिस हुई। श्री रता के जीवित वारिसान श्री भीमा व पुत्री नानी बाई है। जिसमें कोई विवाद नहीं है। हस्तगत प्रकरण में मुख्य प्रश्न यह है कि आलौच्य नामान्तरकरण पारित करते समय अपीलार्थीया श्रीमती नानीबाई का प्रथम श्रेणी के वारिस के रूप में दर्ज नहीं किया। यहा यह न्यायालय उल्लेख करना उचित समझता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सिप्रस के साथ जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2019 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2019 की प्रति, तहसीलदार गिर्वा के प्रकरण संख्या 09/2019 में पारित निर्णय दिनांक 19.

01.2020 की प्रति एवं जमाबंदी की प्रतियां प्रस्तुत की है। जिला कलक्टर, उदयपुर के उक्त निर्णय के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उप तहसीलदार, बारापाल द्वारा श्रीमती नानीबाई (इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील की अपीलार्थीयां) द्वारा श्री रता के स्वामित्व की ग्राम फांदा में स्वामित्व की अन्य भूमि के सम्बन्ध में श्री भीमा, पुष्पा व भुरकी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 199 दिनांक 03.12.2004 के विरूद्ध वर्तमान अपील की अपीलार्थीया श्रीमती नानीबाई द्वारा एक अपील प्रस्तुत की। जिसमें जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.10.2019 में यह माना कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बारापाल द्वारा अपीलीय नामान्तरकरण फैसल करते समय स्व. रता पिता भग्गा भील के विधिक वारिसानों की सहीं जांच नहीं कर मात्र रता के दो पुत्र क्रमशः भीमा पिता रता 1/2, पुष्पा पुत्री टेका, मु.भुरकी पत्नि टेका के नाम ही भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। स्व. रता पिता भग्गा भील के प्रथम श्रेणी के सभी वैध वारिसानों की नियमानुसार जांच कर सभी वारिसानों के नाम नामान्तरकरण दर्ज होकर फैसल होना चाहिए था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। इसके अनुसरण में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा राजस्व अभिलेख के मुकाबले मृतक रता के सही वारिसानों की जांच कर अभिलेख दुरूस्ती किये जाना आवश्यक मानते हुए उनके समक्ष अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि स्व. रता पिता देवा भील के वैध वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल करें व राजस्व अभिलेख में जो भी गलतियां हुई है, उनकी नियमानुसार शुद्धि की जाकर अभिलेख में नये सिरे से इन्द्राज करें। जिला कलक्टर, उदयपुर के उक्त निर्णय की अनुपालना में न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा ने प्रकरण संख्या- 09/19 दर्ज किया और प्रकरण श्री रता पिता भगा भील के वास्तविक वारिसान की पुनः जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई और जिसमें यह पाया गया कि श्रीमती नानी बाई श्री रता की विधिक वारिसान है और श्री रता की भूमि में विरासत के नामान्तरकरण में श्रीमती नानीबाई का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक मानते हुए दिनांक 19.01.2020 को निर्णय पारित किया तथा उक्त निर्णय की अनुपालना में राजस्व जमाबंदी में अपीलान्ट का नाम उसके हिस्से अनुसार दर्ज किया गया।

हस्तगत प्रकरण में यह न्यायालय परिक्षणोंपरान्त यह पाता है कि एक ही व्यक्ति की विधिक वारिसानों के सम्बन्ध में नामान्तरकरण पारित किये जाने में दो राजस्व अधिकारियों की अलग अलग राय नहीं हो सकती है। श्री रता के स्वामित्व की दो खातों की भूमियों में से एक खाते का नामान्तरकरण संख्या 126 ग्राम पंचायत तितरड़ी द्वारा एवं दुसरे खाते की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 199 उपतहसीलदार, बारापाल द्वारा पारित किया गया। अपीलार्थीया श्रीमती नानीबाई द्वारा श्री रता की विधिक वारिसान पुत्री होने के रूप में दोनों नामान्तरकरणों की उनकी क्षेत्राधिकार अनुरूप अपील क्रमशः उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा एवं जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत की। नामान्तरकरण संख्या 199 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 14.10.2019 से प्रकरण तहसीलदार, गिर्वा को उक्त निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया और बाद जांच तहसीलदार गिर्वा श्री रता की भूमि में विरासत के नामान्तरकरण में श्रीमती नानीबाई का नाम

दर्ज किया जाना आवश्यक मानते हुए दिनांक 19.01.2020 को निर्णय पारित किया तथा उक्त निर्णय की अनुपालना में राजस्व जमाबंदी में अपीलान्ट का नाम उसके हिस्से अनुसार दर्ज किया गया। इस न्यायालय में यह कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया कि त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण संख्या 199 के सम्बन्ध में पारित न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 14.10.2019 एवं तहसीलदार गिर्वा के निर्णय दिनांक 19.01.2020 के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई अपील/निगरानी प्रस्तुत की गई हो। ऐसे में यह जाहिर होता है कि श्री रता के स्वामित्व की अन्य भूमि के सम्बन्ध में पारित विरासत के नामान्तरकरण, जिसमें श्रीमती नानीबाई का भी नाम उसके हिस्से अनुसार दर्ज किया गया है, के सम्बन्ध में पारित उक्त दोनों निर्णय अंतिम होकर विवादरहित है। ऐसे में यह न्यायालय उचित समझता है कि श्री रता के स्वामित्व की हस्तगत अपील से सम्बन्धित विवादित भूमि (नामान्तरकरण संख्या-126 दिनांक 02.01.2002 में उल्लेखित) के सम्बन्ध में विरासत से पारित नामान्तरकरण में अपीलार्थीयां श्रीमती नानीबाई का नाम उसके हिस्से अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक है और विधि सम्मत भी है, क्योंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या-126 पारित करते समय स्व. रता पिता भग्गा भील के विधिक वारिसानों की सहीं जांच नहीं कर प्रत्यर्थी-1 से 3 के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। स्व. रता पिता भग्गा भील के प्रथम श्रेणी के सभी वैध वारिसानों की नियमानुसार जांच कर सभी वारिसानों के नाम नामान्तरकरण दर्ज होकर फैसल होना चाहिए था, जो ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया। न ही ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सूचित किया गया और उसे सुना गया हो। न ही अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थिति के परिपेक्ष्य में जांच की गई, जो अपेक्षित थी। ऐसे में यह न्यायालय उक्त विवेचन के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का अपीलाधीन निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का निर्णय दिनांक 06.01.2020 अपास्त किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत तितरडी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 02.01.2002 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण से विवादित भूमि के सम्बन्ध में श्री रता के विधिक वारिसान में अपीलार्थीयां श्रीमती नानीबाई का नाम सम्मिलित करते हुए उसके हिस्से अनुसार नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमलदारमद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें और तद्नुसार तहसीलदार, गिर्वा को लिखा जावें। बाद कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर